

20/02/25

वकील ऊनीठ उपर हमने फावली को अवलोकन
किया। उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश
दि 19/02/24 के विरुद्ध पेश की गयी है।
अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दि 19/02/24 में अपील
को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये
हैं जो कि विधि अनुरूप हैं। अपील को
उक्त आदेश से कोई आपत्ति थी तो अधीन
स्थ न्यायालय में चारापोही करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा
विजन न दिया जाकर नोटिस जारी किये
जये हैं जो कैसे decide की परिभाषा
में नहीं आता है। इस प्रकार अपील अपीलार्थ
न्यायालय द्वारा में पोषणनीय नहीं हैं परन्तु
न्यायालय में हम अधीनस्थ न्यायालय को प्रमाण
इस निर्देश के साथ उपरोक्त किया जाता है
उत्तरपत्र और मुनवाई का अधिकांश 1 माह में
उक्त प्रमाण का निस्तारण करें। फावली फॉर्म
शुद्ध की जाकर गैर से कम की जावे।
वाद जाह्ला हाविल दाखल हो।

